न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 01/2023

जोधराज उम्र 75 वर्ष मण्डावा जिला झुझुनूं। पुत्र भगुताराम जाति जाट निवासी कुहाडु तहसील

वादी

बनाम

श्रवणी पुत्री भगुताराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी कुहाडु हाल निवासी मेहरादासी तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

2–मनोहरी पुत्री भगुताराम पत्नी जगदेवाराम जाति जाट निवासी कुहाडु हाल निवासी नाहर सिघांनी तहसील बलगढ जिला झुझुनूं।

3–इन्द्रा पुत्री भगुतासम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी कुहाडु हाल निवासी गुदड़वास तहसील रामगढ जिला सीकर।

4–उर्मिला पुत्री भगुताराम पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी कुहाडु हाल निवासी गुदड़वास तहसील रामगढ जिला सीकर।

5–सुमिता पुत्री भगुताराम पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी कुहाडु हाल निवासी भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

6– राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा जिला झुझुनूं।

प्रतिवादी

दिनांक 06.02.2025

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जमीन हाल ख.न. 146 रकबा 0.89 हैक्टर, जमीन ख.न. 147 रकबा 0.42 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा 1.31 हैक्टर ग्राम कुहाडू तहत तहसील मण्डावा स्थित है।ग्राम कुहाडु में एक पीथाराम नामक व्यक्ति पैदा हुआ। उक्त पीथाराम के दो पुत्र सन्तान पैदा हुई जो कि कमशः भगुताराम एंव कानाराम हुये। उक्त पीथाराम एंव उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र उक्त भगुतांराम एंव कानाराम को उक्त पीथाराम के जायज उत्तराधिकारी होने से उनको उत्तराधिकार में मिली। उक्त कानाराम अविवाहित देहान्त हो चुका है। भगुताराम के एक पुत्र सन्तान जोधराज एंव 5 पुत्री सन्तान पैदा हुई जो कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 है। उक्त भगुताराम एंव उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। यादी जोधराज उक्त भगुताराम की जायज सन्तान हैं एंव उक्त भगुताराम के हिस्से की जमीन वादी को एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को उतराधिकार में मिली। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। पीथाराम के देहान्त होने पर जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का नामान्तरकरण अकेले कानाराम के नाम तसदीक हो गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 193 में गलत रूप से तसदीक हुआ। कानून से पैत्रिक सम्पति में जायज सन्तान के समान रूप से नामान्तरकरण तसदीक होना चाहिये था। भगुताराम उक्त पीथाराम की जायज सन्तान है। इस कारणे उसके नाम भी जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में भगुताराम के 1/2 हकहिस्सा बनता है और इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में तरमीम होना चाहिये था। कानाराम का देहान्त सन् 1960 में हो गया जो कि अविवाहित था और उसने ना ही किसी को गोद लिया था और ना ही उसका कोई जायज उत्तराधिकारी था।जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का गलत राजस्व रिकार्ड में चलता रहा। यादी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई क्योंकि वादी अपने हक हिस्से की जमीन पर काश्त करता रहा। दिनाकं 31–10–22को वादी ने अपनी जमीन में सुधार करने के लिये जब पटवारी से सम्पर्क किया तब वादी को

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई।जमीन वर्णित वाद पत्र के गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर वादी ने उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की समस्त नकल के लिये आवेदन कर समस्त राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र ग्राम कुहाडु में स्थित है। ग्राम कुहाडु तहसील मण्डावा में स्थित होने के कारण उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है।कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग अलग पास बुक जारी कर अलग अलग लगान कायम किया जावे।जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड गलत कानाराम के नाम से चल रहा। उक्त कानाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जावे। क्योंकि उक्त कानाराम अविवाहित फौत हो चुका है तथा ना उसने किसी को गोद लिया और ना ही उसने शादी की। इस कारण जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पैत्रिक होने से वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत जायज वारिस होने से जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र सम्पुर्ण के खातेदार काश्तकार घोषित होने के कानून से हकदार है।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 लगायत 05 ने इबकालिया जबाब दावा पेश कर अपने हिस्से की घोषणा उपरान्त प्राप्त हिस्सा वादी को दिये जाने बाबत अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश–1 जमाबन्दी 2074–77,प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, प्रर्दश–3 मिलान क्षेत्र फल 687, प्रर्दश–4 भ.रा.अ. की धारा 121 के निर्धारित फार्म संख्या 2059–2079, प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2059, प्रर्दश–6 जमाबन्दी वर्ष 2006,प्रर्दश 7 जमाबन्दी सम्वत 2065, प्रर्दश–8 सम्वत 2069, प्रर्दश–9 सम्वत 2012, प्रर्दश–10 सम्वत 2016, प्रर्दश– 11 जमाबन्दी 2022–2025, प्रर्दश– 12 जमाबन्दी 2026–2029, प्रर्दश– 13 जमाबन्दी 2030–2033, प्रर्दश– 14 जमाबन्दी 2038–41, प्रर्दश– 15 जमाबन्दी 2043–2046 पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद पत्र में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग अलग पास बुक जारी कर अलग अलग लगान कायम किये जाने एवं जमीन वर्णित वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड गलत कानाराम के नाम से चल रहा। उक्त कानाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर जमीन वर्णित वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का आदेशका खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार मण्डावा रिपोर्ट कमांक 35 रकबा 17.01.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मृतक कानाराम पुत्र पीथाराम अविवाहित नाऔलाद फौत हुआ है। उक्त मृतक कानाराम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता भगुताराम का भाई है। जो उक्त मृतक कानाराम के वारिस है। ऐसी स्थिती में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुहाडू की जमीन खं.नं. 146 रकबा 0.89 हैक्टर, ख.न. 147 रकबा 0.42 हैक्टर में खातेदार कानाराम पुत्र पीथाराम का नाम हजफ किया जाकर हजफ हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को बहिस्सा बरागर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 01 लगायत 05 के द्वारा अपने हिस्से की घोषणा वादी के पक्ष के किये जाने की सहमती लिखित

सहमति व्यक्त किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के हिस्से में वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अर्थात सम्पूर्ण हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
महुवा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 01/2023 जोधराज बनाम श्रवणी वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुहाडू की जमीन खं.नं. 146 रकबा 0.89 हैक्टर, ख.न. 147 रकबा 0.42 हैक्टर में खातेदार कानाराम पुत्र पीथाराम का नाम हजफ किया जाकर हजफ हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को बहिस्सा बरागर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी न0 01 लगायत 05 के द्वारा अपने हिस्से की घोषणा वादी के पक्ष के किये जाने की सहमती लिखित सहमति व्यक्त किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के हिस्से में वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अर्थात सम्पूर्ण हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा